FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0134 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/05/2026 17:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 07/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 07/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 18:35 बजे **Time To (समय तक):** 22:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/05/2026 **Time (समय):** 17:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/05/2026 17:53:06 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** AAROPI KE SARKARI AAVAS BARI, JILA DHOLPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SURAJ KUSHWAH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BABULAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KAYASTHPARA BARI, BARI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KAYASTHPARA BARI, BARI, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR. MAHESHCHAND GUPATA		पिता:LAXMICHAND GUPATA	1. WAZEERPUR,GANGAPURCITY, SAWAI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि कि दिनांक 07.03.2026 को परिवादी श्री सूरज कुशवाह द्वारा ए.सी.बी. हैल्पलाईन जयपुर के माध्यम से मन् ज्ञानचन्द पुलिस उप अधीक्षक से सम्पर्क कर अवगत कराया कि उसके पिताजी श्री बाबूलाल के दुर्घटना केस में चोट ग्रस्त होने पर बाडी सदर थाने पर मुकदमा नम्बर 58/26 दर्ज है। उक्त मुकदमें में चोटो का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार करने की एवज में श्री महेश चन्द मेडिकल ज्यूरिष्ठ राजकीय चिकित्सालय बाडी जिला धौलपुर द्वारा 5000/- रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है तथा परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि मैं डॉ. महेशचन्द को रिश्वत नही देना चाहता एवं उसे रिश्वत लेते हुये पकडवाने की कार्यवाही करवाना चाहता हूं, जिस पर परिवादी को कस्बा बाडी में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये तथा चौकी पर पदस्थापित श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 को परिवादी श्री सूरज कुशवाह के मोबाईल से अवगत कराकर उससे सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये। जिस पर निर्देशानुसार श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 मय श्री योगेश सिह कानि. 88 के मय सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय खाली मैमोरी कार्ड के चौकी से रवाना होकर कस्बा बाडी पहुंचा, जहां पर परिवादी श्री सूरज कुशवाह उपस्थित मिला जिसने एक लिखित प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया किः-'मेरे पिताजी बाबूलाल का दिनांक 21.02.2026 को एक्सीडेन्ट हो गया था जिसकी रिपोर्ट मैने बाडी सदर थाने में दर्ज करायी थी। मेरी रिर्पोट पर बाडी सदर थाने में मुकदमा नम्बर 58/26 दिनांक 01.03.2026 दर्ज हुआ था उक्त मुकदमें में मेरे पिताजी की एमएलसी/मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने की एवज में सामान्य चिकित्सालय बाडी में तैनात डॉ. महेश चन्द गुप्ता मुझसे 5000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है, मैं डॉ. महेश चन्द गुप्ता को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं, उसे रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरा डॉ. महेश चन्द गुप्ता से किसी भी प्रकार का रूपये पैसो का लेन-देन नहीं है ना ही रंजिश है। उक्त लिखित शिकायत के अनुसरण में श्रीकान्त कटारा हैड कानि.72 द्वारा परिवादी श्री सूरज कुशवाह को सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर चालू व बन्द कराने की विधि से अवगत कराया गया। तथा परिवादी की सूचना अनुसार परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु आरोपी डॉ. महेश चन्द के सरकारी निवास पर रवाना किया गया तथा परिवादी की निगरानी हेतु श्री योगेश कानि. 88 को भेजकर निर्देशित किया गया कि परिवादी को सुपुर्द शुदा डिवाईस चालू कर अपना परिचय देकर रवाना करे एवं निगरानी रखे। कुछ समय बाद परिवादी मय श्री योगेश सिह कानि. 88 के वापस आया तथा परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 को सुपुर्द कर अवगत कराया कि आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता से रिश्वत के संबंध में वार्ता हो गई है तथा उक्त वार्ता डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, जिस पर बाद सत्यापन परिवादी को मौके पर छोड़कर श्रीकान्त कटारा हैड कानि. मय श्री योगेश सिह कानि. मय डीवीआर मय परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के वापस चौकी आया तथा डीवीआर को सुरक्षित रखा गया। दिनांक 12.03.2026 को समय 12.30 पी.एमः पर परिवादी श्री सूरज कुशवाह उपस्थित चौकी आया। जिससे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 07.03.2026 को प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों के बारे में पूछताछ की तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार किया तथा उक्त प्रार्थना-पत्र स्वंय के द्वारा हस्तलिखित होना बताया तथा अवगत कराया कि मेरे पिताजी बाबूलाल का दिनांक 21.02.2026 को एक्सीडेन्ट हो गया था जिसकी रिपोर्ट मैने बाडी सदर थाने में करायी थी। मेरी रिर्पोट पर बाडी सदर थाने में मुकदमा नम्बर 58/26 दिनांक 01.03.2026 दर्ज हुआ था उक्त मुकदमें में मेरे पिताजी की एमएलसी/मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने की एवज में सामान्य चिकित्सालय बाडी में तैनात डॉ. महेश चन्द गुप्ता मुझसे 5000/-रूपये रिश्वत राशि मांग की गई। मैं डॉ. महेश चन्द गुप्ता को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं, उसे रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, मेरा डॉ. महेश चन्द गुप्ता से किसी भी प्रकार का रूपये पैसो का लेन-देन नहीं है ना ही रंजिश है। परिवादी ने पूछताछ पर अवगत कराया कि मेरे द्वारा दिनांक 07.03.2026 को पेश की गई लिखित शिकायत के बाद श्रीकान्त हैड कानि. ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर उसे चालू व बन्द करने की विधि से अवगत कराया था। डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर श्री योगेश सिह कानि. ने अपना परिचय देकर मुझे सुपुर्द किया था। तथा श्री योगेश सिह कानि. डॉ. के सरकारी आवास के आसपास मौजूद रहा था तथा इसके बाद गोपनीय सत्यापन हेतु मै डॉ. महेश चन्द गुप्ता के सरकारी आवास पर गया था। जहां पर सरकारी आवास पर डॉ. महेश चन्द गुप्ता मौजूद मिला, जिनसे मैने मेरे पिताजी की चोटो की रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में वार्ता की तो डॉ. महेश चन्द गुप्ता ने मेरे 5000/-रूपये

रिश्वत की मांग की तथा मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने के काफी निवेदन करने पर डॉ. महेश चन्द गुप्ता मेरे से 4000/- रूपये रिश्वत लेने पर सहमत हुआ। तथा रिश्वत देने के पश्चात ही चोट प्रतिवेदन तैयार करने को सहमत हुआ। इसके बाद मैं डॉ. के सरकारी आवास से रवाना होकर मै व श्री योगेश सिह कानि. श्रीकान्त हैड कानि. के पास पहुंचा जहां पर मैने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे हैड कानि. द्वारा बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया तथा रात्रि का समय होने के कारण मै मौके पर रूक गया। कार्यालय में पदस्थापित श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा परिवादी के कथनो की पुष्टि की गई। मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को चलाकर सुना गया तो उक्त रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया एवं वार्ता में कथित आरोपी द्वारा परिवादी से उसके पिता श्री बाबूलाल की चोटो का मेडिकल मुआयना करने की एवज में 5000/-रूपये रिश्वत मांग करना एवं परिवादी के निवेदन करने पर 4000/-रूपये रिश्वत लेने हेतु सहमत होने की पुष्टि होना पाया गया। अतः डीवीआर को वापस सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने अवगत कराया कि रिश्वत राशि नही देने के कारण डॉ. महेश चन्द गुप्ता ने आज दिनांक 12.03.2026 तक मेरे पिताजी की चोट प्रतिवेदन तैयार नहीं की है। वह आज मेरे से रिश्वत प्राप्त कर लेगा। परिवादी सूरज कुशवाह द्वारा स्वंय का स्व.प्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति एवं पुलिस थाना बाडी सदर पर दर्ज प्रकरण संख्या 58/26 की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसे शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी श्री सूरज कुशवाह द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत प्रार्थना-पत्र एवं उक्त प्रार्थना-पत्र के अनुशरण में दिनांक 07.03.2026 को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन एवं परिवादी द्वारा अवगत कराये गये तथ्यों के आधार पर आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता मेडिकल ज्यूरिष्ठ सामान्य चिकित्सालय बाडी द्वारा परिवादी के पिता श्री बाबूलाल की दुर्घटना के संबंध में पुलिस थाना बाडी सदर पर दर्ज प्रकरण संख्या 58/26 में चोटो का प्रतिवेदन तैयार करने की एवज में 5000/-रूपये रिश्वत की मांग करना एवं परिवादी के निवेदन करने पर 4000/-रूपये लेने को सहमत होने की पुष्टि होना पाया गया। टे्रप कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह तलबी बाबत श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 को स्वतंत्र गवाह लेकर आने हेतु कार्यालय जिला परिषद धौलपुर रवाना किया गया। जिस पर श्री इन्द्रजीत हैड कानि. 71 वापस कार्यालय आया और बताया कि कार्यालय से रवाना होकर कार्यालय जिला परिषद धौलपुर पहुंचा जहां पर कार्यालय पत्र की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर द्वारा श्री संदीप तंवर प्रशासनिक अधिकारी व श्री जय सिह कनिष्ठ सहायक को बतौर गवाह मनोनीत कर पाबन्द किया, जिस पर दोनो गवाहान को हमराह साथ लेकर कार्यालय उपस्थित आया। कार्यवाही के क्रम में कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देते हुए उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम - श्री संदीप तंवर पुत्र श्री पुष्कर सिंह जाति गुर्जर उम्र 48 साल निवासी सफेद कोठी मौहल्ला गोपालगढ भरतपुर पुलिस थाना मथुरा गेट भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर हाल प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिषद धौलपुर व दूसरे ने अपना नाम श्री जय सिह पुत्र श्री थान सिंह जाति जाटव उम्र 42 साल निवासी बरेहीमोरी पुलिस थाना सदर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद धौलपुर होना बताया, जिनसे गोपनीय टे्रप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही तो उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी-अपनी लिखित सहमति पेश की, तत्पश्चात् दोनों गवाहान का उपस्थित परिवादी श्री सूरज कुशवाह से आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनो गवाहान को परिवादी श्री सूरज कुशवाह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 07.03.2026 दिखाया जाकर पढवाया गया। तो दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सूरज कुशवाह एवं आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता मेडिकल ज्यूरिष्ठ के मध्य दिनांक 07.03.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे कार्यालय के सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था उक्त वार्ता में मौजूद आवाज की पहचान परिवादी से करवाई गई तो वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता मेडिकल ज्यूरिष्ठ की होना पहचान किया। उक्त वार्ता की हूबहू फर्द ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 से तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद परिवादी श्री सूरज कुशवाह से स्वतंत्र गवाहान श्री संदीप तंवर प्रशासनिक अधिकारी व श्री जय सिह कनिष्ठ सहायक के समक्ष रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने अपने पास से पॉच-पॉच सौ रूपये के 08 (आठ) नोट कुल चार हजार रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। पेश किये गये नोटो का विवरण निम्न प्रकार से हैः-01 एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 VP 014001, 02. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 RA 832579, 03. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 HE 942220, 04. एक नोट पॉच सौ रूपये का 7 FP 257430, 05. एक नोट पॉच सौ रूपये का 0 MC 101853, 06. एक नोट पॉच सौ रूपये का 1 TA 242594, 07. एक नोट पॉच सौ रूपये का 6 VB 624825, 08. एक नोट पॉच सौ रूपये का 4 CH 518764, उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर उक्त नोटों का मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्रीकान्त हैड कानि. 72 प्रभारी मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली-भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री सूरज की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री संदीप तंवर प्रशासनिक अधिकारी से लिवाई गई तो उसके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन

पाउडर लगे 4,000/-(चार हजार) रूपये के नोटों को श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि0 67 से परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी से अभिवादन के समय हाथ नही मिलावे एवं आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा राशि प्राप्त कर लेने के बाद नियत ईशारा अथवा मोबाईल से मिसकॉल देकर अवगत करावे, उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री जय सिह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में रखे पानी के कैम्पर में से एक पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल को सभी हाजरीयान को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाली श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों स्वतत्र गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्रीमति सुमन ठाकुर महिला कानि. 67 के माध्यम से मालखाना में रखवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी एवं समस्त टे्प पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने भी अपने दोनों हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ किये। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया जाकर टे्प बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी को विभागीय सोनी कम्पनी का डिजीटल वॉइस रिकार्डर में सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी का सत्यापन प्रक्रिया में प्रयुक्त किया गया मैमोरी कार्ड डालकर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री सूरज कुशवाह ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि उसने आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता के बारे में जानकारी की तो आज आरोपी सामान्य चिकित्सालय बाडी में नही आया है तथा अवकाश पर होने की जानकारी आई है, परिवादी द्वारा दी गई सूचना पर दिनांक 12.03.2026 को आरोपी के बाहर होने के कारण टे्प कार्यवाही संभव नही होने से फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिष्वत राषि 4000/-रूपये परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बायी तरफ की जेब से श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 से स्तवंत्र गवाहान के समक्ष निकलवाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि को एक लिफाफे में रखवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखा एवं परिवादी को आरोपी से सम्पर्क होने अथवा आरोपी द्वारा तलब करने पर तुरन्त सूचना देने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया एवं स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता रखने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 23.03.2026 समय 12.10 पी.एमः को परिवादी श्री सूरज कुशवाह कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि दिनांक 12.03.2026 के बाद मैने कई बार सामान्य चिकित्सालय बाडी में जाकर डॉ. महेश चन्द गुप्ता के बारे में जानकारी की तो डॉ. महेश चन्द गुप्ता नही मिला एवं जानकारी करने पर लम्बे अवकाश पर होना बताया। मेरे पिताजी श्री बाबूलाल की दुर्घटना के केस के संबंध में पुलिस थाना सदर बाडी के जांच अधिकारी द्वारा दबाव बनाने के कारण मैने दिनांक 19.03.2026 को मेरे पिताजी को सामान्य चिकित्सालय बाडी में ले जाकर दूसरे मेडिकल ज्यूरिष्ठ डॉ. आनन्द वर्मा से चोटो का मुआयना करवाकर रिपोर्ट तैयार करवा ली है तथा वह रिपोर्ट जांच अधिकारी को भेज दी गई है। इसके बाद डॉ. महेश चन्द गुप्ता ने मेरे से किसी प्रकार का कोई सम्पर्क नही किया है, यदि आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता रिश्वत के संबंध में मेरे से सम्पर्क करता है तो मै आपको अवगत करा दूंगा। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रूखसत किया गया। कार्यवाही के क्रम में दिनांक 21.04.2026 को समय 11.00 ए.एमः पर परिवादी श्री सूरज कुशवाह कार्यालय उपस्थित आया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत कराया कि दिनांक 07.03.2026 के बाद आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता ने मेरे से किसी प्रकार का सम्पर्क नही किया तथा लम्बे अवकाश पर चला गया है तथा मेरा फोन भी रिसिव नही कर रहा है। मुझे संभावना है कि डॉ. महेश चन्द गुप्ता, मेडिकल ज्यूरिष्ठ को मेरे ऊपर शक हो गया है तथा वह अब मुझसे रिश्वत राशि प्राप्त नही करेगा तथा सत्यापन वार्ता के आधार पर कार्यवाही करने की कृपा करे, इसी क्रम में परिवादी ने पेश शुदा रिश्वत राशि वापस लौटाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाह को तलब करने पर उपस्थित कार्यालय आये। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 07.03.2026 को परिवादी श्री सूरज कुशवाह व आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता, मेडिकल ज्यूरिष्ठ, सामान्य चिकित्सालय बाडी जिला धौलपुर के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नम्बर 260307-1942 को जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड में सेव थी। उक्त वार्ता को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के सरकारी कम्प्यूटर के माध्यम से 02(दो) पैनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी व 01 (एक) पैनड्राईव सेनडिस्क कम्पनी 16 जीबी में श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 से कॉपी (प्रतिलिपिकरण) करवाया गया। तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर MD5 o SHA1 की सहायता से मूल मैमोरी कार्ड एवं

आरोपी को दी जाने वाली कॉपी शुदा पैनड्राईव की हैश वैल्यू श्रीकान्त कटारा हैड कानि. 72 से निकलवाई जाकर, हैश वैल्यू का प्रिन्ट आउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया, दोनों की हैश वैल्यू समान होना पाया गया। एक पैनड्राईव (32 जीबी) बजह सबूत न्यायालय के लिए, एक पैनड्राईव (32 जीबी) आरोपी के लिए पृथक-पृथक कपडे की थैली में सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैनड्राईव (16 जीबी) अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा गया। उपरोक्त तीनो पैनड्राईव पर मार्क P अंकित किया गया। टे्प कार्यवाही में कार्यालय के सरकारी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में उपयोग मे लिये गये मूल मैमोरी कार्ड सेनडिस्क कम्पनी 32 जीबी को बतौर वजह सबूत माननीय न्यायालय के लिए एक प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर उस पर हस्ताक्षर कर उक्त डिब्बी को सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर करके मार्क M अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये एवं सील्ड शुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाया गया।कार्यवाही की फर्द डंबिग तैयार कर संबंधित हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तथा गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्रीकान्त कटारा हैड कानि.72 से मालखाने में रखी रिश्वत राशि 4000/-रू से फिनोफ्थलीन पाउडर अच्छी तरह साफ करवाया जाकर परिवादी श्री सूरज कुशवाह को जरिये फर्द 4000/-रू लौटाये जाकर रसीद प्राप्त की गई। फर्द व प्राप्ती रसीद शामिल पत्रावली की गई। बाद कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया। अब तक की गई टे्प कार्यवाही परिवादी श्री सूरज कुशवाह द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत प्रार्थना-पत्र उसके द्वारा अवगत कराये तथ्यों एवं उक्त प्रार्थना-पत्र के अनुशरण में दिनांक 07.03.2026 को रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन से पाया गया कि परिवादी श्री सूरज कुशवाह के पिता श्री बाबूलाल के वाहन दुर्घटना में चोट ग्रस्त होने के संबंध में पुलिस थाना बाडी सदर जिला धौलपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 58/26 में चोटो का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन तैयार करने की एवज में आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता ,मेडिकल ज्यूरिष्ट, सामान्य चिकित्सालय बाडी जिला धौलपुर द्वारा परिवादी से 5000/-रूपये रिश्वत की मांग की गई। जिसकी सूचना एवं लिखित शिकायत दिनांक 07.03.2026 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत करने पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया, तो आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता द्वारा परिवादी से 5000/-रू रिश्वत की मांग की गई एवं परिवादी के रिश्वत राशि कम करने के निवेदन करने पर 4000/-रूपये लेने को सहमत होने की पुष्टि होना पाया गया है। सत्यापन उपरान्त दिनांक 12.03.2026 को टे्प कार्यवाही का आयोजन किया गया परन्तु उक्त दिनांक को आरोपी के अवकाश पर होने के कारण टे्प कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी। बाद में परिवादी द्वारा अन्य मेडिकल ज्यूरिष्ट से उसके पिता की चोटो का मेडिकल मुआयना करवा लिया गया तथा आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता को परिवादी पर शक हो जाने के कारण उसके द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त नही की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 07.03.2026 से आरोपी डॉ. महेश चन्द गुप्ता द्वारा परिवादी से उसके पिता की चोटो का मेडिकल मुआयना करने की एवज में 5000/-रू रिश्वत की मांग करना एवं परिवादी के रिश्वत राशि कम करने के निवेदन करने पर 4000/-रूपये लेने को सहमत होने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार आरोपी डॉ. महेशचन्द गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता उम्र 43 साल निवासी वजीरपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ विषेशज्ञ ईएनटी सामान्य चिकित्सालय बाडी जिला धौलपुर। का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ((यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में पाया गया है। कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (ज्ञानचन्द) पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर.......कार्यवाही पुलिस.......प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी डॉ. महेशचन्द गुप्ता पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द गुप्ता उम्र 43 साल निवासी वजीरपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ विषेशज्ञ ईएनटी सामान्य चिकित्सालय बाडी जिला धौलपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री अमित सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. भरतपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 1028 पर अंकित है। (सुनील सिहाग) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 834-37 दिनांक 22.05.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर 2- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज भरतपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** AMIT SINGH **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Sunil Sihag
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/05/2026 17:55:22

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Sunil Sihag

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)